

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/3364 /

जबलपुर, दिनांक 18/08/2017

श्री विलास सुधीर तुंगार, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा आयोजित पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (बी एल आई एस) पाठ्यक्रम में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से सत्र 2017-18 में प्रवेश लेने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है -

- 1 यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
- 2 कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
- 3 यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएं तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।



(मो फहीम अनवर)


रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक C/3365 /

जबलपुर, दिनांक 18/08/2017

प्रतिलिपि -

- 1 रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी पी एस उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  - 2 रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
  - 3 ज्वार्ट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  - 4 डिप्टी रजिस्ट्रार (समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  - 5 कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  - 6 अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  - 7 सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  - 8 श्री विलास सुधीर तुंगार, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

  
(चन्द्रेश कुमार खरे)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)



उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/3390 /

जबलपुर, दिनांक 18 /08/2017

श्री अनंत कुमार रजक, आकरिमकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को प्रिसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) महोदय के निरीक्षण के दौरान कार्यालय में वर्दी पहन कर न आने एवं भड़कीले कपडे पहने पाये जाने के फलस्वरूप चेतावनी दी जाती है कि भविष्य अपने कर्तव्य पर वर्दी में ही उपस्थित हों अन्यथा आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

*सही /*

(अरविंद कुमार शुक्ला)

प्रिसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक)

जबलपुर, दिनांक 18/08/2017

पृष्ठांकन क्रमांक C/3391 /

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  2. रजिस्ट्रार आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
  3. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  4. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
  5. डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  6. असिस्टेंट रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
  7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  8. अनुभाग अधिकारी स्थापना/न्यायिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  9. प्रिसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  10. अनुभाग अधिकारी स्थापना/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  11. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
  12. श्री अनंत कुमार रजक, आकरिमकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

*Chandresh Kumar Khare*

(चन्द्रेश कुमार खरे)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

*Sm 49*